संख्या-184/2019/1828/41-2019-20(बजट)/2019

प्रेषक,

बच्चू लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 03 जुलाई, 2019

विषय:-श्री गुरू रविदास जी जन्मस्थली सीरगोवर्धन वाराणसी के पुनर्विकास एवं विस्तार परियोजना के निर्माण कार्य एवं प्रायोजना हेतु आवश्यक भूमि का क्रय/अधिग्रहण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1411/6-1-1(1014)/2019, दिनांक 26 जून 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **श्री गुरू रविदास जी जन्मस्थली सीरगोवर्धन वाराणसी के पुनर्विकास एवं विस्तार परियोजना के निर्माण कार्य एवं प्रायोजना हेतु आवश्यक भूमि का क्रय/अधिग्रहण किए जाने** हेतु जिलाधिकारी वाराणसी के पत्र संख्या 1585/मु.रा.अ./2019 दिनांक 12 फरवरी 2019 में की गयी संस्तुति के अनुक्रम में चिन्हित भूमि को निर्धारित सर्किल रेट, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि समस्त धनराशियों सहित मूल्यांकित की गयी धनराशि रू0 33,20,00,000.00 (रूपये तैंतीस करोड़ बीस लाख मात्र) के व्यय को वहन किये जाने एवं इस स्थल पर स्वीकृत प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु आवश्यक अवशेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 के पूंजी लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-37-जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य मद में हो रही सम्भावित बचत से अनुदान संख्या 44 के पूंजी लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य में संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार कुल रू0 44,29,58,000.00 (रूपये चौवालिस करोड़ उन्तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजना हेतु आवश्यकतानुसार चिन्हित भूमि का क्रय/अधिग्रहण जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व नियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जी रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 के प्रस्तर-2(8)(च) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी तथा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्थल पर पर्यटन विकास कार्य हेतु शासनादेश संख्या-41/2019/605/41-2019-20(बजट)/2019 दिनॉक 18 फरवरी 2019 द्वारा रू0 1309.58 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि से प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवशेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने के पूर्व प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की गयी धनराशि का सक्षम स्तर से उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। शासन के अनुमोदनोपरान्त ही कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा- वित्तीय एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश आदि तथा भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण विषयक राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 में उल्लिखित प्रक्रिया/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोतों से धनराशि प्राप्त नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की गयी है। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही वास्तविक देयता के

आधार पर किया जायेगा तथा अप्रयुक्त अथवा अवशेष धनराशि को तत्काल शासन को अनिवार्यरूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तो एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन महानिदेशक पर्यटन/पर्यटन निदेशालय के वित्त नियंत्रक/ सम्बन्धित अधिकारी एवं जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(11) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि की स्वीकृति जिलाधिकारी वाराणसी एवं महानिदेशक, पर्यटन पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि उक्त सूचना/विवरण में कोई विसंगति या त्रुटि पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व सम्बन्धित का होगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-आर0ई0-32/दस-2019, दिनांक 02 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(बच्चू लाल)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग वित्तीय वर्ष 2019-20 (धनराशि रूपये लाख मे)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध प्राविधान/अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)	लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-37-जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य	20000	20000	4429.58	4429.58	15570.42	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य	5000	9429.58	4429.58	4429.58	9429.58
योग	20000	20000	4429.58	4429.58	15570.42	योग	5000	9429.58	4429.58	4429.58	9429.58

नोट-1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना मद में प्राविधानित धनराशि का पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में न होने के कारण बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण- गुरू रविदास जी की जन्मस्थली के पर्यटन विकास की प्रायोजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस प्रायोजना के कार्य कराये जाने हेतु संगत मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने तथा इस मद में उपलब्ध अवशेष धनराशि से प्रायोजना में संचालित विभिन्न योजनाओं/मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित। परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के प्रचलित प्रस्ताव हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के कारण पुनर्विनियोग कराया जाना प्रस्तावित है। जिस निधि से संक्रमण प्रस्तावित है उसमें कुल प्रस्तावित प्रावधान रू0 5000.00 लाख का है जिसके सापेक्ष रू0 1263.79 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा लगभग रू0 4000.00 लाख की द्वितीय किश्त एवं नये कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जानी है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(बच्चू लाल)

उप सचिव, पर्यटन विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-आर0ई0-32/दस-2019 दिनांक 02-07-2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(राजेन्द्र राम)

अनु सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-184/2019/1828(1)/41-2019-20(बजट)/2019 दिनांक 03 जुलाई 2019

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वाराणसी ।
4- निदेशक, वितीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, वाराणसी ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. उप निदेशक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
9. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)

उप सचिव, पर्यटन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in